

"राष्ट्रीय लोक अदालत 2022"

आदेश

तहसीलवार की रिपोर्ट के आधार पर शुद्धि का
कोदेश जारी किया जा कर फेसल शुमा का दायित्व दफ्तार हो

८
उपखण्ड अधिवक्ता
शिविर प्रेमारी
गढ़ी, जिला बंसवाड़ा

